न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 436 / 2015

वउनवान

1. रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण (मृतक) जरिये वारिसान

1/1 जमना पुत्र रामदयाल

1/2 जगदीशप्रसाद पुत्र रामदयाल

1/3 सुभाषचन्द पुत्र रामदयाल

1/4 धर्मेन्द्र पुत्र मुरारी पोत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासीयान
ग्राम अगराया तहसील कठूमर

2. द्वारकाप्रसाद पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी अगराया
3. नर्वदा वंवा रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी अगराया (तर्क)
तहसील कठूमर जिला अलवर

------ वादीगण

बनाम

1. उमाशंकर पुत्र मनमोहन जाति ब्राहमण
2. गौरीशंकर पुत्र मनमोहन जाति ब्राहमण
3. शिवचरण पुत्र मनमोहन जाति ब्राहमण
4. मु0 कांतीदेवी पुत्री मनमोहन जाति ब्राहमण
5. गिरधारीलाल पुत्र राधाचरण जाति ब्राहमण
6. छैलविहारीलाल पुत्र राधाचरण जाति ब्राहमण
निवासीयान ग्राम अण्धेरघाट सेवा कुंज चित्रकूट वाले
ब्रहमचारी की कुंज बृन्दाबन तहसील मथुरा
तहसील कठूमर

---- प्रतिवादीगण

7. सुरेश पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज
8. गुड्डू पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज
9. जगदीश पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज
10. मिथलेश पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज
11. भोलू पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज
12. कान्ताप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी अलवर
13. रामप्रकाश पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी अगराया
14. शंकरलाल पुत्र नवलकिशोर जाति ब्राहमण निवासी अगराया
15. उम्मेदचन्द पुत्र नवलकिशोर जाति ब्राहमण निवासी अगराया
16. औमप्रकाश पुत्र नवलकिशोर जाति ब्राहमण निवासी अगराया
17. बनवारी पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी अगराया
18. श्रीबक्ससिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी नगलाजादू
तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :—

श्री राधाबल्लभ शर्मा : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 21.06..2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 701,719, 718, 703, 704, 705, 706, 712, 714, 722, 662 जो साविक खसरा नम्बरान 504, 514 मिन, 515 मिन, 506 मिन, 507 मिन, 511, 513, 518 मिन 516 मिन 517 मिन 476, ग्राम कालबाडी तहसील कठूमर से बनाये गये है। जो हाल में ग्राम अगराया तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वो जब्ती विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही विश्वेदारान द्वारा दी गई उनकी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में, वादीगण के नाम कब्जे काश्त खातेदारी के इन्द्राजात दर्ज है। उन्हीं का कब्जा रेकार्ड है। कानून के आदेशात्मक प्रावधानों के तहत विवादित आराजी वादी सं0 1 के 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2–3 के 1/2 हिस्सा वावत स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त है। वादीगण को ही राजस्व एंव सैटलमेंण्ट कर्मचारियान को मुताविक कानून कब्जा टीनेन्सी के खातेदार काश्तकार दर्ज करना चाहिए था। इस वजह से विवादित आराजी वावत राजस्व रेकार्ड प्रतिवादीगण के नाम गलत वो प्रारम्भ से ही शून्य है। विवादित आराजी वावत विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा बाजी चली थी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश रिवीजन दिनांक 26.09.2000 को खारिज हुई इस प्रकार विवादित आराजी वावत प्रतिवादीगण के कोई किसी किस्म के हक हिस्सा कब्जा वो खातेदारी अधिकार नहीं है और अव प्रतिवादीगण का विवादित आराजी वावत मामला अंतिम रूप से न्यायालयों द्वारा तय हो चुका है। पैरा संख्या 3 में दर्ज आराजी का 1/2 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी सं0 7 ला0 17 की अलग अलग खातेदारी में दर्ज है जिसमें उन्होंने कुछ आराजी को रघुवीर मीना निवासी अगराया वगैरा को विक्रय कर दिया है। विवादित आराजी तन्हा वादीगण की है। वादी संख्या 2–3 ने खसरा नम्बर 703,704 705, 706,612,714,722,662 का अपना हिस्सा तर0प्रति0सं018 श्रीबक्ससिंह को विक्रय कर दिया है। विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता मनमोहन

Scanned by CamScanner

राधाचरण की खातेदारी में विधि विरूद्व तरीके से दर्ज चली आ रही है जिस गलत इन्द्राज को सही कराने वावत वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। गलत राजस्व रेकार्ड की आड में प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित आराजी से वेदखल कर स्वंय कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है व रहन वय करने की धमकी देते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा वादी के नाम व 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2–3 के नाम खातेदारी मे घोषित कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। वादी के प्रार्थना पत्र पर तरतीवी प्रतिवादीगण की तामील दिनांक 05.06.2007 को बन्द की गई। प्रतिवादीगण बाबजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 17.09.2012 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 प्रदर्श 1 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2, नकल नामान्तकरण प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी संवत् 2035 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श 5 नकल राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 21.11.1995 प्रदर्श 6 नकल जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 प्रदर्श 7 वाके ग्राम अगराया की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू 1 वादी द्वारकाप्रसाद व गवाह रतन पी डब्ल्यू 2 व रामखिलाडी के वयान लेखवद्व कराये है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण का पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हुआ है मुताविक राजीनामा विवादित आराजी वादीगण को प्राप्त हुई है। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 के अनुसार दावा के पैरा संख्या 1 में अंकित हाल खसरा नम्बरान के साविक खसरा नम्बर सही होना प्रमाणित है। जमाबन्दी 2060 से 2063 प्रदर्श 1 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 719, 718 द्वारकाप्रसाद, नर्वदा का 1/4 हिस्सा रामदयाल का 1/4 हिस्सा मनमोहन राधाचरण पि0 मधुसुदन का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा खसरा नम्बर 701 में रामदयाल 1/8 हिस्सा द्वारका प्रसाद 1/8 हिस्सा मनमोहन राधाचरण 1/4 हिस्सा केदारनाथ कान्ताप्रसाद ललताप्रसाद श्योदपाल बृजमोहन नवलकिशोर बनवारीलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी संवत् 2035 प्रदर्श 4 में हाल खसरा नम्बर 701 रामदयाल रामस्वरूप हिस्सा 1/4 मनमोहन रामचरण हिस्सा 1/4 केदारनाथ कान्ताप्रसाद ललताप्रसाद बृजमोहन श्योदयाल बृजमोहन नवलकिशोर बनवारीलाल हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 662 से 722 किता 10 रकवा 15 वीधा 17 विस्वा रामदयाल, रामस्वरूप हिस्सा 1/2 राधाचरण हिस्सा 1/2 दर्ज है। प्रदर्श 5 खाता संख्या 222 किता 22 रकवा 34 वीघा रामदयाल रामस्वरूप हिस्सा 1/4 मनमोहन राधाचरण हिस्सा 1/4 केदारनाथ कान्ताप्रसाद ललता श्योदयाल बृजमोहन नवलकिशोर बनवारी रामनिवास व हरीचरण हिस्सा 1/2 दर्ज है। प्रदर्श 6 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का दिनांक 21.11.1995 है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस में वादीगण के नाम बकाश्त प्रविष्टि के आधार पर धारा 19 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की है जो प्रासंगिक नहीं है क्योंकि धारा 19 में खुद काश्त के कास्तकार एंव शिकमी कास्तकारों को एपोइण्टेड डेट पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान करती है मुताबिक जमाबन्दी सं0 2016–2027 प्रतिवादीगण के पिता मनमोहन विवादित आराजीयात पर खातेदार दर्ज रिकोर्ड होने से राज0 कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के अन्तर्गत मनमोहन खातेदार एडमिट किये जाने की परिभाषा में आते है। खातेदारी अधिकारी वैधानिक अधिकार है। गिरदावरी रिकोर्ड ऑफ राइट्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है। धारा 15(1) के अन्तर्गत दर्ज खातेदार कास्तकार को समस्त कानूनी अधिकार उसी दिनांक से अर्जित हो जाते है जो बाद में किसी वैधानिक तरिके से अन्य को दिये जा सकते है। धारा 15 व धारा 19 पूर्व भूमि अधिकारी जागीरदार वर्ग0 के विरूद्ध कृषकों के खातेदारी अधिकारों के अर्जन का प्रावधान करती है न कि खातेदारी प्राप्त कास्तकारों के अधिकारों के विलोपन का। वादीगण अपना वाद सावित करने में

Scanned by CamScanner

असफल रहे हैं राजस्व एंव सैटलमेंण्ट कर्मचारियान ने प्रतिवादीगण के नाम गलत खातेदारी दर्ज की हो इस तरह का भी वादीगण ने पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। जहां तक विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जे का प्रश्न है कब्जा वावत भी वादीगण ने केवल पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 3 के वयान लेखवद्व कराये है जिन्होंने अपने वयानों में विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा होना कथन किया है। लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में गवाहों की गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है केवल गवाहों की गवाही के आधार पर विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती है। वादीगण ने अपने कथनों के पुष्टि में कोई कानूनी नजीर भी पेश नहीं की है। इस वजह से वादीगण अपने दावा को सावित करने में असफल रहे है। अतः वादीगण विवादित आराजी वावत खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी नहीं है। वाद वादीगण सावित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी आराजी खसरा नम्बर 701, 703, 704, 705, 714, 722, 662, 719, 718, 706, 707 वाके ग्राम अगराया तहसील कठूमर वावत सावित ना होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 21.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 436 / 2015

वउनवान

1. रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण (मृतक) जरिये वारिसान

1/1 जमना पुत्र रामदयाल

1/2 जगदीशप्रसाद पुत्र रामदयाल

1/3 सुभाषचन्द पुत्र रामदयाल

1/4 धर्मेन्द्र पुत्र मुरारी पोत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासीयान
ग्राम अगराया तहसील कठूमर

2. द्वारकाप्रसाद पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी अगराया

3. नर्वदा वंवा रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी अगराया (तर्क)
तहसील कठूमर जिला अलवर

----- डिक्रीदारान

बनाम

1. उमाशंकर पुत्र मनमोहन जाति ब्राहमण
2. गौरीशंकर पुत्र मनमोहन जाति ब्राहमण
3. शिवचरण पुत्र मनमोहन जाति ब्राहमण
4. मु0 कांतीदेवी पुत्री मनमोहन जाति ब्राहमण
5. गिरधारीलाल पुत्र राधाचरण जाति ब्राहमण
6. छैलविहारीलाल पुत्र राधाचरण जाति ब्राहमण
निवासीयान ग्राम अण्धेरघाट सेवा कुंज चित्रकूट वाले
ब्रहमचारी की कुंज बृन्दाबन तहसील मथुरा
तहसील कठूमर

---- मदयूनान

7. सुरेश पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज
8. गुड्डू पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज
9. जगदीश पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज
10. मिथलेश पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज
11. भोलू पुत्र केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीगंज

Scanned by CamScanner

12. कान्ताप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी अलवर
13. रामप्रकाश पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी अगराया
14. शंकरलाल पुत्र नवलकिशोर जाति ब्राहमण निवासी अगराया
15. उम्मेदचन्द पुत्र नवलकिशोर जाति ब्राहमण निवासी अगराया
16. औमप्रकाश पुत्र नवलकिशोर जाति ब्राहमण निवासी अगराया
17. बनवारी पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी अगराया
18. श्रीबक्ससिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी नगलाजादू तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी आराजी खसरा नम्बर 701, 703, 704, 705, 714, 722, 662, 719, 718, 706, 707 वाके ग्राम अगराया तहसील कठूमर वावत सावित ना होने से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 21.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner